



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290
Website www.res.uk.gov.in




पत्रांक 4-82 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2024-25 दिनांक 10 जून 2024
"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों को निम्नानुसार स्थानान्तरण कर तैनात किया जाता है

क्र0 सं0	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक का नाम	वर्तमान तैनाती	स्थानान्तरण का प्रकार	प्रस्तावित स्थानान्तरण
1	2	3	4	5
1	श्रीमती राधा बिष्ट	प्रखण्ड नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 (क) के अन्तर्गत	प्रखण्ड बागेश्वर
2	श्री नवीन चन्द्र मिश्रा	प्रखण्ड उधमसिंहनगर	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 (घ) तीन के अन्तर्गत छूट प्रदान करते हुये सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण	प्रखण्ड नैनीताल
3	श्री पप्पू आर्य	प्रखण्ड बागेश्वर	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-10 (क) के अन्तर्गत	प्रखण्ड उधमसिंहनगर


- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर चार्ज हस्तान्तरण की कार्यवाही उपरान्त प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जूलाई, 2024 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम-2017 धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल/उधमसिंहनगर/बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल/ उधमसिंहनगर/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित वरि0 वैयक्तिक सहायक, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड नैनीताल/उधमसिंहनगर/बागेश्वर।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली।
- 7- कार्यालय आदेश पत्रबंध।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।




कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
लायोउम मार्ग, राजपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून
E-mail: hod.res.aff@gmail.com, Ph. No. 2780290
Website www.res.aff.gov.in



पत्रांक 481 / प्रतिलिपि / स्थाप-स्थानान्तरण / 2024-25 दिनांक 18 जून 2024
"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वॉर्डित स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में विहित प्रावधानों एवं शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.08.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दि. नं. 10.08.2023 के अनुसार किर्गोण स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सृष्ट राजू भारत प्रशासनिक अधिकारी, परिमण्डल नैनीताल को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 (बि) (तीन) के अनुसार पूर्ण लोक में सृष्ट प्रदान करने हेतु प्रमाण कार्यस्थल प्रखण्ड नैनीताल स्थानान्तरण किया जाता है।


- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर चार्ज हस्तान्तरित कर इतिस्थानी की प्रतीक्षा किये किन्तु कार्यभार प्रारंभ करने अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कर्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- 3- माह जुलाई 2024 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से प्रारंभित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कर्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार प्रारंभ न करने पर उनका शिरोह अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य क्रोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 6- व्यक्तिगत पत्रावली।
- 7- कार्यालय आदेश पत्रबंध।


मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून

E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290

Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 48) / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2024-25 दिनांक 10 जून 2024
"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कु0 राजू रावत, प्रशासनिक अधिकारी, परिमण्डल नैनीताल को स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-7 (घ) (तीन) के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में छूट प्रदान करते हुये सुगम कार्यस्थल प्रखण्ड नैनीताल स्थानान्तरण किया जाता है।

- 1- उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा। आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर चार्ज हस्तान्तरित कर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
- 2- स्थानान्तरित कर्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- 3- माह जुलाई, 2024 का वेतन नव तैनाती कार्यालय से आहरित होगा।
- 4- स्थानान्तरित किये गये कर्मिक के द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ॐ

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), ग्रामीण निर्माण विभाग, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल नैनीताल।
- 6- व्यक्तिगति पत्रावली।
- 7- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

10/6/24
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)

ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड, उत्तराखण्ड देहरादून
E-mail- hod.res.uk@gmail.com, Ph. No. 2780290
Website www.res.uk.gov.in



पत्रांक 480 / ग्रा0नि0वि0 / स्था0-स्थानान्तरण / 2024-25 दिनांक 10 जून 2024

"कार्यालय आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या 1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 तथा शासनादेश संख्या 1/120990/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10.05.2023 के अनुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर श्री राकेश मोहन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रखण्ड टिहरी का स्वयं के अनुरोध पर शासनादेश संख्या 1/120994/2023 दिनांक 10.05.2023 के अन्तर्गत प्रखण्ड कोटद्वार स्थानान्तरण किया जाता है।

उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 31.07.2024 को श्री हंसलाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के सेवानिवृत्ति उपरान्त प्रभावी होगा।

६०

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, परिमण्डल देहरादून/पौड़ी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी/कोटद्वार।
- 4- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, टिहरी एवं कोटद्वार।
- 5- सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड टिहरी।
- 6- व्यक्तिगति पत्रावली।
- 7- कार्यालय आदेश पत्रबंध।

मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

